मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में

जबलपुर (म.प्र.) में

समक्ष
माननीय श्री न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा

दिनांक 16 अप्रैल, 2026

अवमानना याचिका (सिविल) क्रमांक 5447/2025

राजनीश त्रिपाठी
विरुद्ध
मनीष सिंह (आईएएस) एवं अन्य

उपस्थिति :
याचिकाकर्ता की ओर से : श्री जुबिन प्रसाद एवं श्री भानु प्रकाश, अधिवक्ता
प्रतिवादियों की ओर से : सुश्री अंजली मिश्रा, अधिवक्ता

आदेश

1. आई.ए. क्रमांक 19412/2025 पर सुनवाई की गई, जो इस अवमानना याचिका दायर करने में विलंब की क्षमा हेतु आवेदन है।
2. आवेदन में वर्णित कारणों के आधार पर, आई.ए. क्रमांक 19412/2025 स्वीकार किया जाता है तथा इस अवमानना याचिका दायर करने में हुई देरी क्षम्य की जाती है।
3. यह अवमानना याचिका इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 12203/2006 में दिनांक 03/01/2023 को पारित आदेश के अनुपालन न करने के आरोप में दायर की गई है।
4. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि एक जनहित याचिका तथा अन्य संबंधित याचिकाएँ विभिन्न पक्षकारों द्वारा दायर की गई थीं, जिनमें यह न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि

वाहनों का ओवरलोडिंग अनेक समस्याएँ उत्पन्न करता है तथा राज्य सरकार इस संबंध में कोई उपयुक्त कार्रवाई नहीं कर रही है।

इन सभी याचिकाओं को एक साथ संलग्न (क्लब) कर लिया गया तथा प्रमुख याचिका क्रमांक W.P. No. 12203/2006 में दिनांक 02/11/2015 को आदेश पारित किया गया।

जनहित याचिका में मुख्य आपत्ति यह थी कि वाहनों का ओवरलोडिंग सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुँचाता है तथा अनेक दुर्घटनाओं और पर्यावरणीय दुष्परिणामों सहित विभिन्न समस्याएँ उत्पन्न करता है।

प्रतिवादियों द्वारा प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया, जिसमें विभिन्न रिपोर्ट एवं आश्वासन संलग्न थे, जिनमें यह प्रस्तावित किया गया कि ओवरलोडिंग पर नियंत्रण हेतु विभिन्न कदम उठाए जाएंगे।

तथापि, आश्वासन देने के बावजूद राज्य सरकार ने बाद में अपना रुख बदलते हुए एक संप्रेषण जारी किया, जिसके द्वारा चेक पोस्ट बंद करने का प्रयास किया गया।

उक्त आदेश को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 04/09/2018 के आदेश से स्थगित कर दिया गया तथा जनहित याचिका लंबित रही।

तत्पश्चात, और शपथपत्र प्रस्तुत किए गए, जिनमें राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से विभिन्न कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन का उल्लेख किया, जिसमें चेक पोस्ट का सतत संचालन भी शामिल था ताकि सीमाओं पर ही वाहनों की ओवरलोडिंग को रोका जा सके।

ये शपथपत्र एवं कार्यवाही रिपोर्ट परिशिष्ट-C/6 के रूप में अभिलेख पर प्रस्तुत हैं।

अंततः, प्रतिवादियों द्वारा दिए गए आश्वासन एवं शपथपत्र के आधार पर, जनहित याचिका का निस्तारण दिनांक 03/01/2023 को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ किया गया:

“4. याचिकाकर्ता की मुख्य शिकायत ट्रकों के ओवरलोडिंग से संबंधित है... 5. प्रस्तुत सामग्री पर विचार करने के पश्चात हम संतुष्ट हैं कि प्रतिवादी मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमों के अनुपालन हेतु उपयुक्त कदम उठा रहे हैं...

6. इन परिस्थितियों में, प्रस्तुत शपथपत्रों एवं उपलब्ध विधिक उपायों के दृष्टिगत, इस प्रकरण को लंबित रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।"

5. उपर्युक्त टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि कार्य योजना भविष्य में जारी रखी जानी थी, क्योंकि इसे प्राधिकरणों द्वारा शपथपत्र के माध्यम से स्वीकार किया गया था।

   रिट याचिका के निस्तारण के पश्चात पुनः दिनांक 30/06/2024 को एक आदेश पारित किया गया, जिसके द्वारा सभी अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट बंद कर दिए गए।

6. इस न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कि चेक पोस्ट लंबे समय से कार्यरत थे और यही वाहनों की ओवरलोडिंग की जाँच का सबसे प्रभावी एवं व्यवहारिक माध्यम थे।

   जनहित याचिका में राज्य प्राधिकारियों द्वारा दिए गए आश्वासन का उल्लंघन किया गया है, क्योंकि चेक पोस्ट बंद करने का आदेश जारी किया गया, जबकि पूर्व में इस न्यायालय द्वारा ऐसे आदेश को स्थगित किया जा चुका था (परिशिष्ट-C/5)।

   यह न्यायालय के आदेशों का घोर उल्लंघन है।

   यह भी तर्क दिया गया कि न्यायालय के समक्ष दिए गए आश्वासन का पालन न करना, न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवमानना है।

7. नोटिस जारी होने पर, प्राधिकरणों द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह कहा गया कि राज्य ओवरलोडिंग रोकने, राजस्व हानि रोकने एवं सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उचित कदम उठा रहा है।

   यह प्रतिवादियों का अधिकार है कि वे ओवरलोडिंग रोकने हेतु उपयुक्त उपाय अपनाएँ।

   चूँकि वैकल्पिक उपाय लागू किए जा चुके हैं, अतः अवमानना का कोई मामला नहीं बनता।

   उन्होंने याचिका खारिज करने का निवेदन किया।

8. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
9. यह निर्विवाद तथ्य है कि जनहित याचिका का निस्तारण प्रतिवादियों द्वारा दिए गए आश्वासनों के आधार पर किया गया था।

10. यह स्थापित विधि है कि न्यायालय के समक्ष दिया गया आश्वासन यदि पालन नहीं किया जाता है, तो वह न्यायालय के आदेश की अवमानना के समान है।

पूर्व में चेक पोस्ट बंद करने का आदेश इस न्यायालय द्वारा दिनांक 04/09/2018 को स्थगित किया जा चुका था (परिशिष्ट-C/5)।

इसके बावजूद चेक पोस्ट पुनः बंद कर दिए गए, जो न्यायालय के आदेश एवं आश्वासन का उल्लंघन है।

11. तथापि, प्रतिवादियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक निर्देश जारी करने से पूर्व, इस न्यायालय द्वारा उन्हें एक और अवसर प्रदान करना उचित समझा जाता है।

(विशाल मिश्रा)
न्यायाधीश

अतएव, यह अवमानना याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि प्रतिवादी जनहित याचिका में दिए गए अपने आश्वासनों का पालन करें तथा बंद किए गए सभी चेक पोस्ट पुनः स्थापित करें।

वे ओवरलोडिंग की जाँच हेतु अन्य उपाय अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं, किन्तु न्यायालय के समक्ष दिए गए आश्वासनों का पालन करना अनिवार्य है।

12. प्रतिवादियों को 30 दिनों का समय दिया जाता है कि वे सभी बंद चेक पोस्ट पुनः स्थापित करें।
13. यदि इस आदेश का पालन प्रमाणित प्रति प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, तो याचिकाकर्ता को अवमानना कार्यवाही पुनः प्रारंभ करने की स्वतंत्रता होगी।
14. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, यह अवमानना याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।